1630
16/6/10

सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

संख्या 509 /XXIV-2/10/9(17)/2009

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 11 जून, 2010

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1-10-2005 अथवा उसके पश्चात राजकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- अर्थ-5(क)8/21180/2009-10 दिनांक 06 जुलाई 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जो राजकीय/अशासकीय विद्यालयों में संवर्ग के किन्हीं पदों पर दिनांक 1-10-2005 को या उसके पश्चात नये नियुक्त हुए है, परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार की पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे, तथा जिनकी पुरानी परिषदीय/अशासकीय विद्यालयों की सेवा और नई राजकीय/अशासकीय विद्यालयों की सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, और वे उचित माध्यम से अनुमति लेकर नयी सेवा में आये हैं, ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) उक्त लाभ पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर चाहें वे अस्थायी हों या स्थायी हो, दिनांक 1 अक्टूबर 2005 को या उसके पश्चात नियमित चयन के फलस्वरूप सीधी भर्ती से पूर्णकालिक पदों पर नियुक्त एवं पूर्व से राजकीय/अशासकीय सेवा में न रहने वाले तथा प्रवेश करने वाले शिक्षकों/कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि किसी शिक्षक/कार्मिक की नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सी0पी0एफ0 कटौती की गयी है, तो राज्य सरकार का अंश मय ब्याज के राजकोष में जमा किया जायेगा, एवं शिक्षक/कार्मिक का अंशदान ब्याज सहित उसे भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) पेंशन के पात्र वही शिक्षक/कार्मिक होगें जो दिनांक 30-9-2005 को या उसके पूर्व नियमित रूप से चयनित हों, तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों।

GT New

Scanned by CamScanner

(4) संगत परिनियमों / नियमों में उक्तवत् व्यवस्था अविलम्ब करा ली जायेगी।
(5) सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी के द्वारा उक्त व्यवस्था से आच्छादित होने वाले कार्मिकों / शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादन हेतु अविलम्ब उनके जनपद स्तरीय अधिकारी से अभिलेख प्राप्त करके, प्रकरण में आवश्यक आदेश निर्गत करके उसकी सूचना निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को भी दी जायेगी, ताकि कार्मिकों / शिक्षकों के द्वारा किया गया अभिदान की मय ब्याज के वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–2500 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 26 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– (1) / XXIV–2 / 10 / 9(17) / 2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड डालनवाला, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7– अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौडी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
12– गार्ड फाईल

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner

संख्या22 0xxvii(3)अ.आ. / 2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1.अपर मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2.सचिव,शिक्षा,
उत्तरांचल शासन ।
3.सचिव,कृषि,
उत्तरांचल शासन ।

वित्त अनु–3 देहरादून:दिनांक 18 जून,2005

विषय:– राज्य के विश्व विद्यालय,कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों,अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के विश्व विद्यालयो,कृषि विश्व विद्यालयो तथा उनसे सम्बद्ध / सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग–अलग सेवानैवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक(ग्रेच्युटी)सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2.उक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नही होगी ।

3.ग्रैच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में विश्वविद्यालय / राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि,उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे

4. 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा । जिन शिक्षकों से सत्रांश तक कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के

अधीन की जायेगी तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के प्रस्तर- 520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5 उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य के विश्वविद्यालय सम्बन्धी अधिनियम/नियम,कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिनियम/नियम एवं माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा ।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या220xxvii(3)अ.आ./2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार, उत्तरांचल,ओबैराय भवन,माजरा,देहरादून ।
2.सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तरांचल ।
3.निदेशक,उच्च शिक्षा,हल्द्वानी नैनीताल ।
4.निदेशक,विद्यालयी शिक्षा,उत्तरांचल,देहरादून ।
5.निदेशक,प्राविधिक शिक्षा,उत्तरांचल ।
6.कुलसचिव, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल/ कुमॉयू विश्वविद्यालय, नैनीताल/कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर,नैनीताल ।
7.निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर,उत्तरांचल ।
8.मण्डलायुक्त,कुमायूँ/गढ़वाल ।
9.समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
10.समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
11.रीजिनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,उत्तरांचल,देहरादून ।
12.शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग ।
13.वित्त विभाग के समस्त अनुभाग ।
14.निदेशक,एन0आई0सी0 देहरादून ।
15.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

संख्या 26 /XXIV-2/11/9(17)/2009

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः राजकीय विद्यालयों में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1-10-2005 अथवा उसके पश्चात अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 509/XXIV-2/10/9(17)/2009 दिनांक 11 जून, 2010 के कम में एवं आपके पत्र संख्या- अर्थ-5(क)8/21452-53/पेंशन/2010-11 दिनांक 06 जुलाई 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जो अशासकीय विद्यालयों में संवर्ग के किन्हीं पदों पर दिनांक 1-10-2005 को या उसके पश्चात नये नियुक्त हुए है, परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार की पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे, तथा जिनकी पुरानी राजकीय विद्यालयों की सेवा और नई अशासकीय विद्यालयों की सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, और वे उचित माध्यम से अनुमति लेकर नयी सेवा में आये हैं, ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या-509/XXIV-2/10/9(17)/2009 दिनांक 11 जून, 2010 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है।

2- संगत परिनियमों/नियमों में उक्तवत् व्यवस्था अविलम्ब कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-4959/XXVII(7)/2010 दिनांक 01 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

Scanned by CamScanner